सफाई कर्मचारी आंदोलन व अन्य

बनाम

भारत संघ व अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 583/2003)

27 मार्च, 2014

[पी. सतशिवम, सीजेआई, रंजन गोगोई और एन.वी.रमना, जे.जे.]

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013: उद्देश्य-चर्चा की गई।

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 14,17,21 व 47-हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 का गैर-कार्यान्वयन -पी.आई.एल.-याचिकाकर्ता की शिकायत है कि 1993 के अधिनियम के लगभग दो दशक से लागू होने बावजूद हाथ से मैला उठाने की प्रथा बेरोकटोक जारी है और शुष्क शौचालय आज भी मौजूद है। रिट याचिका में अन्य बातों के साथ साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,17,21 और 47 के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की गई; शुष्क शौचालयों का पूर्ण उन्मूलन; और हाथ से मैला उठाने की प्रथा और शुष्क शौचालयों के संचालन को संविधान और 1993 अधिनियम का उल्लंघन घोषित करने के

लिए- प्रतिपादितः सर्वोच्च न्यायालय के प्रभावी हस्तक्षेप और निर्देशों के कारण सरकार द्वारा इस बुराई को समाप्त करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के कल्याण के लिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 लाया गया- 2013 अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों के आलोक में, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास और उनके कुटुंब और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न निर्देश पारित किए गये- सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे पूरी तरह से लागू करने और 2013 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के गैर-कार्यान्वयन के साथ-साथ उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये- चूंकि अधिनियम 2013 पूरे क्षेत्र को सम्मिलित करता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगे निगरानी की आवश्यकता नहीं है- हालाँकि,इसे पूरी तरह से लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का कर्तव्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर है- भविष्य में, पीड़ित व्यक्तिय पहले संबंधित अधिकारियों और उसके बाद संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के समक्ष जा सकते है- रिट याचिका निस्तारित- हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993- हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013- धारा 2(1)(घ)(ड)(छ)।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अनुबंध:बाध्यकारी प्रभाव-प्रतिपादित: अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के उपरोक्त प्रावधान, जिन्हें भारत द्वारा अनुमोदित किया गया है, घरेलू कानून के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होने की हद तक बाध्यकारी हैं।

हस्तगत रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी-भारत संघ, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशो को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993(संक्षेप में 'अधिनियम') का कार्यान्वयन सख्ती से लागू करने के लिये परमादेश रिट जारी करने की प्रार्थना करने के साथ-साथ,भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,17,21 और 47 के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की गई; प्रत्यर्थीगण को अधिनियम को अपनाने और लागू करने और हाथ से मैला उठाने की प्रथा के पूर्ण उन्मूलन और इस तरह की प्रथा में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये समयबद्ध आधार पर विस्तृत योजनाएं तैयार करने के निर्देश देना;भारत संघ और राज्य सरकारों को विभिन्न नगर निगमों,नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों(सभी स्थानीय निकायों) को अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने और उल्लंघनकर्ताओ के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश देना; शुष्क शौचालयों का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित

करना; और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों के अनुसार समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करना।

रिट याचिका का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. भारत के संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा सामान्य रूप से अस्पृश्यता की प्रथा और विशेष रूप से हाथ से मैला उठाने की प्रथा की निंदा की गई। तदनुसार,संविधान के अध्याय III में, अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 17 को शुरू में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (जिसे पहले अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के रूप में जाना जाता था) के अधिनियमन के माध्यम से लागू किया गया था । उक्त अधिनियम की धारा 7ए में प्रावधान है कि जो कोई भी अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को सफाई के लिए मजबूर करता है, उसे अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली अक्षमता को लागू करने वाला माना जायेगा जो कारावास से दंडनीय है। हालाँकि यह संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान अपने आप में पथप्रदर्शक थे,लेकिन इन्हें देश भर में मैनुअल स्कैवेंजिंग की अप्रिय प्रथा, जो जाति-व्यवस्था और अस्पृश्यता की अवधारणा में निहित है, की निरंतरता को संबोधित करने में अपर्याप्त पाया गया।

2. संविधान के प्रावधानों के अलावा, कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और अनुबंध जिनमें भारत भी एक पक्षकार है, मैनुअल स्कैवेंजिंग की अमानवीय प्रथा को निर्धारित करते है। ये हैं यूनिवर्सल डेक्लरेशन आफ ह्यूमन राईट्स (यूडीएचआर), कन्वेन्शन आन एलीमीनेशन आफ रेशीयल डिस्क्रीमिनेशन(सीईआरडी) और कन्वेन्शन आफ एलीमीनेशन आफ ओल फार्मस आफ डिस्क्रीमिनेशन अगेंस्ट वोमेन(सीईडीएडब्ल्यू)। अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के उपरोक्त प्रावधान, जिन्हें भारत द्वारा अनुमोदित किया गया है, घरेलू कानून के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होने की हद तक बाध्यकारी हैं।

3. 2003 से आज तक, इस रिट याचिका को एक सतत परमादेश के रूप में माना गया। इस न्यायालय द्वारा दूरगामी प्रभाव वाले कई आदेश पारित किये गये हैं। याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न राज्यों द्वारा अधिनियम को न अपनाने पर ध्यान आकर्षित किया है जिसके कारण राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियम को अनुमोदित किया गया (जिसमें दिल्ली विधानसभा भी शामिल है जिसने विलंब से 2010 में अधिनियम को अनुमोदित किया था)। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं ने समय-समय पर इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और उन आदेशों के अनुपालन में शपथ पत्र पेश किया है। इस न्यायालय ने कई अवसरों पर केंद्र और राज्य सरकारों को अधिनियम के नियंत्रण और कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया है। विभिन्न आदेशों ने धीरे-धीरे राज्य सरकारों को

कानून का अनुमोदन करने और अधिनियम के तहत कार्यकारी प्राधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया है। इस न्यायालय के निर्देशों के तहत, राज्य डेटा एकत्र करने और अधिनियम के कार्यान्वयन का नियंत्रण करने के लिए विधि द्वारा बाध्य हैं।

4. मार्च, 2013 में इस न्यायालय के बढ़ते दबाव के कारण, केंद्र सरकार ने 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के सर्वेक्षण' की घोषणा की। हालाँकि, सर्वेक्षण केवल 3546 वैधानिक कस्बों तक ही सीमित था और ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका विस्तार नहीं हुआ। इस सीमित अधिदेश के साथ भी, याचिकाकर्ता संख्या 1 की जानकारी के अनुसार, सर्वेक्षण में उल्लेखनीय रूप से बहुत कम प्रगति देखी गई है। दिनांक 27.02.2014 के "मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों के सर्वेक्षण की प्रगति रिपोर्ट" में राज्य के रिकॉर्ड से प्रकट होता है कि वह वास्तव में मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे लोगों की संख्या का केवल एक छोटा सा अनुपात ही चिन्हित करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ता, अपने सीमित संसाधनों के साथ, बिहार राज्य में मैनुअल स्कैवेंजिंग वाले 1098 व्यक्तियों को चिन्हित करने में कामयाब रहे हैं। दिनांक 27.02.2014 की प्रगति रिपोर्ट मात्र 136 को चिन्हित करने का दावा करती है। राजस्थान राज्य में, याचिकाकर्ताओ ने 816 मैनुअल स्कैवेंजर्स को चिन्हित किया है जबकि राज्य की प्रगति रिपोर्ट दिनांकित 27.02.2014 में मात्र 46 ही चिन्हित किये गये है। याचिकाकर्ताओ द्वारा एकत्रित उपरोक्त आंकडे यह स्पष्ट करते है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा

निरंतर बेरोकटोक जारी है। इस तथ्य के बावजूद कि 1993 का अधिनियम लगभग दो दशकों से लागू था, शुष्क शौचालयों अभी भी मौजूद है।राज्यों ने 1993 के अधिनियम और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संवैधानिक अधिदेश को नकारते हुये कार्य किया है।

5. एक दशक से अधिक समय तक, इस न्यायालय ने विभिन्न निर्देश जारी किए और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुपालन की मांग की। इस न्यायालय के प्रभावी हस्तक्षेप और निर्देशों के कारण,भारत सरकार द्वारा इस बुराई को समाप्त करने व हाथ से मैला ढोने वालो के कल्याण के लिये "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम,2013" नामक एक अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम को दिनांक 18.09.2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। उपरोक्त अधिनियम का अधिनियमन, किसी भी तरह से, न तो अनुच्छेद 17 के संवैधानिक अधिदेश को कमजोर करता है न ही 1993 के अधिनियम के तहत संघ व राज्य सराकारों की ओर से निष्क्रियता को माफ करता है। इसके अलावा 1993 का अधिनियम अनुच्छेद 17 व अनुच्छेद 21 में सीवेज सफाई और टैंकों की सफाई में लगे व्यक्तियों के साथ-साथ रेलवे पटरियों पर मानव मल साफ करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। उपर्युक्त अधिनियम को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके कुटुबों के पुनर्वास तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक

विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। अधिनियम के अध्याय 1 में अन्य बातों के साथ-साथ क्रमशः धारा 2 (1)(घ),(ङ) और

(छ) में "परिसंकटमय सफाई", "अस्वच्छ शौचालय" और "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी" परिभाषित किये गये है। अधिनियम के अध्याय 2 में अस्वच्छ शौचालयों की पहचान करने का प्रावधान है।अधिनियम के अध्याय III में अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वालो के रूप में नियोजन व लगाये जाने के प्रतिषेध का प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 8 और 9 दंडात्मक प्रावधान हैं। अधिनियम के अध्याय IV में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से सफाई करने वालों की पहचान और उनके पुनर्वास के लिए प्रावधान करता है। अधिनियम के अध्याय V में कार्यान्वयन तंत्र प्रदान करता है। अधिनियम के अध्याय VII में सतर्कता और निगरानी समितियों के स्थापना का प्रावधान है। अधिनियम के अध्याय VIII में विविध प्रावधान शामिल हैं। अधिनियम की धारा 33 में सीवर आदि की सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के कर्तव्य का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 36 में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार, अधिसूचना द्वारा, तीन महीने से की अवधि के भीतर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाएगी। । अधिनियम की धारा 37 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार,अधिसूचना द्वारा,राज्य सरकारों के मार्गदर्शन और उपयोग के लिए मॉडल नियम प्रकाशित करेंगी।

6. हमने 2013 अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर ध्यान में रखते हुये और इस न्यायालय के विभिन्न आदेशों के आलोक में, निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये:- 2013 अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची में शामिल व्यक्तियों को 2013 अधिनियम के भाग IV के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित तरीके से पुनर्वासित किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) ऐसी प्रारंभिक, एकमुश्त, नकद सहायता, जो निर्धारित की जा सकती है;

(ख) उनके बच्चे,केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारियों,जैसा भी मामला हो,की प्रासंगिक योजना के अनुसार छात्रवृत्ति के हकदार होंगे;

(ग) प्रासंगिक योजना के प्रावधानों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी की पात्रता और इच्छा के अधीन, एक आवासीय भूखंड और घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, या वित्तीय सहायता के साथ एक तैयार घर आवंटित किया जाएगा

(घ) उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को, पात्रता और इच्छा के आधार पर, आजीविका कौशल में प्रशिक्षण और ऐसी अवधि के दौरान मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा;

(ई) उनके परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को,पात्रता और इच्छा के अधीन प्रासंगिक योजना के प्रावधानों के अनुसार स्थायी आधार पर एक वैकल्पिक व्यवसाय अपनाने के लिये सब्सिडी और रियायती ऋण दिया जायेगा;

(च) ऐसी अन्य कानूनी और कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान की जायेगी, जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस संबंध में अधिसूचित कर सकती है।

(ii) यदि हाथ से मैला उठाने वाली प्रथा को समाप्त करना है और आने वाली पीढ़ियों को भी हाथ से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा से रोकना है, तो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास में निम्नलिखित को शामिल करने की आवश्यकता है :-

(अ)सीवर से मौतें- आपातकालीन स्थितियों में भी सुरक्षा गियर के बिना सीवर लाइनों में प्रवेश करना अपराध बनाया जाना चाहिए। ऐसी प्रत्येक मृत्यु के लिए, मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा को दिया जाना चाहिये।

(ख) रेलवे- पटरियों पर हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए समयबद्ध रणनीति अपनानी चाहिए।

(ग) हाथ से मैला उठाने से मुक्त किए गए व्यक्तियों को कानून के तहत उनका वैध देय प्राप्त करने के लिए बाधाओं को पार करना नहीं पडे।

(घ)सफाई कर्मचारी महिलाओ को अपनी पसंद की आजीविका योजनाओं के अनुसार सम्मानजनक आजीविका के लिए सहायता प्रदान करना।

(iii) उन सभी व्यक्तियों के परिवारों को चिन्हित करना जिनकी मृत्यु 1993 से सीवरेज कार्य (मैनहोल, सेप्टिक टैंक) में हो चुकी है और ऐसी प्रत्येक मृत्यु के लिए उन पर निर्भर परिवार के सदस्यों को 10 लाख रूपये का मुआवजा दे।

(iv) पुनर्वास न्याय और परिवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्दिष्ट अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों के साथ नियमों के प्रकाश में, हम एतद्द्वारा सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे पूरी तरह से लागू करने और 2013 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के गैर-कार्यान्वयन के साथ-साथ उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। चूंकि अधिनियम 2013 पूरे क्षेत्र को सम्मिलित करता है, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा आगे निगरानी की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, हम एक बार पुनः दोहराते है कि इसे पूरी तरह से लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का कर्तव्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर है। अब से, पीड़ित व्यक्तियों को अनुमति है कि वह

पहले संबंधित अधिकारियों और उसके बाद संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के समक्ष जा सकते है।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

रिट याचिका(सिविल) संख्या के 583/2003

के साथ

डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 583/2012 की अवमानना याचिका (सी सी)संख्या 132/2003.

ए. मारियारपुथम, एजी., पारस कुहाड़, आर.के.खन्ना, एएसजीस, दिनेश द्विवेदी, जे.एस. अत्री,रंजीत कुमार, राहुल वर्मा, मंजीत सिंह, अजय बंसल, सौरभ श्याम, शमशेरी, कृष्ण सर्मा, एएजीस, निखिल नय्यर, अंबुज अग्रवाल, आकांक्षा, धनजय बैजल, जतिंदर कुमार भाटिया, मुकेश वर्मा,अनुव्रत शर्मा, जितिन चतुर्वेदी, विकास बंसल, एम.एन.दासा, सुषमा सूरी, सुनीता शर्मा, डी.एस.माहरा, राजीव कुमार बंसल, मोहन प्रसाद गुप्ता, एस.के.बाजवा, केशव ठाकुर, बी.कृष्ण प्रसाद, एस.एन.तेरदल, सी.डी.सिंह, साक्षी कक्कड़, दर्पण भुइयां, विवेकता सिंह, नूपुर चौधरी, तारजीत सिंह, कमल मोहन गुप्ता, विनय कुहाड़, देवेंद्र सिंह, धीरज गुप्ता, परदमन सिंह, कुलदीप सिंह, गौरव यादव, सुनील फर्नांडीस, आस्था वर्मा, इंशा मीर, राघव चड्ढा, आशा जी.नायर, अभिषेक कुमार पांडे, भारत सूद, अमित शर्मा,मिलिंद कुमार, गोपाल सिंह, रितु राज बिस्वास, चंदन कुमार,

के.एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, अरुणा माथुर, यूसुफ, अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, के. एन. मधुसूधना, प्रज्ञान शर्मा, हेशु के., आर.सतीश, जी.एन.रेड्डी, बी.देबोजीत, एम.बाला शिवुडू, सूर्यनारायण सिंह, प्रगति नीखरा, हेमंतिका वाही, प्रीति भारद्वाज, लगनेश मिश्रा, वी. एन. रघुपति, ए.परीक्षित, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज विश्वास, गोपाल प्रसाद, सुनील एस., वी.जी.प्रगसम, एस.जे.अरिस्टोटल, प्रभुरामसुब्रमण्यन, बालासुब्रमण्यम, के.वी.जगदीशवरन, जी.इंदिरा, पवन श्री अग्रवाल, अनिरुद्ध पी.मयी, अनीप सचथे, अशोक कुमार सिंह, सपम विश्वजीत मेइतेई, ख्वैरकपम नोबिन सिंह, शांतनु सिंह, रिकू सर्मा, नवनीत कुमार, कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप, रचना जोशी इस्सार, अम्बरीन रसूल, एम.जे.पॉल, ए.सुभाषिनी, अनिल कटियार, अविजीत भट्टाचार्जी, भारत संगल, सी.एन.श्री कुमार, देवेंद्र सिंह, जी.प्रकाश, एच.एस. परिहार, के.जे. जॉन, के.के. गुप्ता, रंजन मुखर्जी, रवींद्र कुमार, के. के. मणि, एम.सी. ढींगरा, मधु सीकरी, मनोज स्वरूप एंड कंपनी,नरेश के. शर्मा, पारिजात सिन्हा, पी. नरसिम्हन, प्रदीप मिश्रा, प्रेम सुंदर झा, आर.एन. केशवानी, श्रीश कुमार मिश्रा, टी.वी. रत्नम, सी.एम.चोपड़ा, अनिल नाग, आर. अय्याम पेरुमल, के.आर. शशिप्रभु, शकील अहमद सैयद, एस. राजप्पा, बी.के. स्टिजा, रमेश बाबू एम.आर., घनश्याम जोशी, तरुण जौहरी, वरिंदर कुमार शर्मा, राजन नारायण, डॉ. कैलाश चंद, राजेश श्रीवास्तव, एस. चंद्र शेखर, मोहनप्रसाद मेहरिया, अजय शर्मा, टी. महिपाल, सुमिता हजारिका, अमित कुमार, रवींद्र केशवराव

अदसुरे, सुष्मिता लाल, अभिष्थ कुमार, प्रणीत रंजन, शिबाशीष मिश्रा, अंसार अहमद चौधरी, रउफ रहीम, टी. वी. जॉर्ज, प्रवीण चतुर्वेदी, अजय पाल, आर. गोपालकृष्णन, बीना माधवन, अभिषेक चौधरी, अरविंद कुमार शर्मा, उपस्थित पक्षकारों की ओर से न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

पी. सतशिवम, सीजेआई.

1. उपरोक्त रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी-भारत संघ, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशो को मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993(संक्षेप में 'अधिनियम') का कार्यान्वयन सख्ती से लागू करने के लिये परमादेश रिट जारी करने की प्रार्थना करने के साथ-साथ,भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,17,21 और 47 के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की गई।

2. संक्षिप्त तथ्यः

(i) रात की मिट्टी को हाथ से हटाने की अमानवीय प्रथा जिसमें शुष्क शौचालयों से मानव मल को नंगे हाथों, झाड़ू या धातु के स्क्रैपर्स से हटाना; मल और टोकरियों को अपवहन के लिए डंपिंग साइटों पर ले जाना शामिल है, एक ऐसी प्रथा है जो अभी भी देश के कई हिस्सों में प्रचलित

है। जबकि कुछ याचिकाकर्ता-संगठनों द्वारा किए गए सर्वेक्षण का अनुमान है कि देश में 12 लाख से अधिक हाथ से मैला उठाने की अपमानजनक मानव प्रथा का उपक्रम कर रहे है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002-2003 के लिये जारी आधिकारिक आंकड़े के अनुसार चिन्हित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का आंकड़ा 6,76,009 है। इनमें से 95 प्रतिशत से अधिक दलित (अनुसूचित जाति के व्यक्ति) हैं जो इस अपमानजनक कार्य को "पारंपरिक व्यवसाय" की आड़ में करने के लिए मजबूर हैं। इन हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को अन्य विशेष जातियों द्वारा अछूत माना जाता है और गंभीर सामाजिक और आर्थिक शोषण के भंवर में फेंक दिया जाता हैं।

(ii) वर्ष 1989 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यबल की उप-समिति ने अनुमान लगाया कि देश में 72.05 लाख शुष्क शौचालय हैं। इन शुष्क शौचालयो का न केवल आज तक कई राज्यों में अस्तित्व बना हुआ है, बल्कि यह बढ़कर 96 लाख हो गया है और अभी भी अनुसूचित जातियों के सफाई कर्मचारियों द्वारा हाथ से साफ किये जा रहे है।

(iii) सफाई कर्मचारियों सहित सभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सरकारी कंपनी के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति

और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना फरवरी,1989 में की गई थी।

(iv) भारत सरकार ने 'स्कैवेंजर्स की मुक्ति के लिए कम लागत वाली स्वच्छता' नामक एक योजना तैयार की, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 1989-90 में मौजूदा शुष्क शौचालयों को कम लागत वाले पानी वाले फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करके हाथ से मैला उठाने को खत्म करने व नए स्वच्छता शौचालयों का निर्माण करने के लिए भी कार्यान्वित किया गया था।

(v) हाथ से मैला उठाने को समाप्त करने के उद्देश्य से सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण देने के बाद वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिये 'स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना' नामक योजना की शुरूआत मार्च 1992 में की गई थी।

(vi) पूर्व अनुभव के आधार पर और सितंबर 1992 में ग्रामीण स्वच्छता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, मार्च 1993 में भारत सरकार द्वारा एक नई रणनीति अपनाई गई थी। अब स्वच्छता शौचालय प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा था जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के चुनिंदा घरों में 2,500/- रुपये की इकाई लागत पर

80 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता शौचालय का निर्माण शामिल था।

(vii) वर्ष 1993 में संसद ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 को अधिनियमित किया और इसे 5 जून,1993 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। अधिनियम का लंबा शीर्षक इसका वर्णन इस प्रकार करता है कि यह अधिनियम मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार के साथ-साथ शुष्क शौचालयों के निर्माण या निरंतरता के निषेध और जल-सील शौचालयों के निर्माण व रखरखाव के विनियमन और उससे जुडे या उसके आनुषंगिक मामलों का प्रावधान प्रदान करता है।

(viii) यह अधिनियम, जिसे जून 1993 में अधिनियमित किया गया था, वह लगभग साढ़े तीन साल तक निष्क्रिय रहा। अंततः इसे वर्ष 1997 में लागू किया गया। । सबसे पहले, यह अधिनियम आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल व सभी केंद्रीय शास्ति प्रदेशों पर लागू हुआ। यह उम्मीद की गई थी कि तत्पश्चात् शेष राज्य संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत उचित प्रस्ताव पारित करके इस अधिनियम को अपनायेंगे। हालाँकि, जैसा कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग-एक वैधानिक निकाय, जिसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम,1993 के तहत स्थापित किया गया था, ने संसद में प्रस्तुत अपनी तीसरी और चौथी रिपोर्ट

(संयुक्त) में उल्लेख किया कि 1993 के अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है और आगे बताया गया कि देश में शुष्क शौचालयों की अनुमानित संख्या 96 लाख है और मैनुअल स्कैवेंजर्स की अनुमानित संख्या 5,77,228 है। इसमें आगे कहा गया है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को सैन्य इंजीनियरिंग कार्यों, सेना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारतीय रेलवे आदि में नियुक्त किया जा रहा था।

(ix) 2003 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.)द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में 'सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति व पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना' का मूल्यांकन किया गया था। रिपोर्ट का निष्कर्ष यह था कि

> "600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली यह योजना कार्यान्वयन के 10 साल बाद भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही है"। इसमें आगे बताया कि यद्यपि योजना के कार्यान्वयन के लिए धन उपलब्ध था, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा खर्च नहीं किया गया था या कम उपयोग किया गया था। योजना के नियंत्रण के लिए गठित समितियां निष्क्रिय थी। इसमें आगे कहा कि "'मुक्ति' और 'पुनर्वास' के बीच सामंजस्य अभाव था और "ऐसा कोई सबूत नहीं था जो इस तथ्य की ओर इंगित करे कि जो

लोग मुक्त हुये थे उनका वास्तव में पुनर्वास किया गया था"। इसका निष्कर्ष यह था कि "योजना की अवधारणा और संचालन में सबसे गंभीर चूक उस कानून को लागू करने में विफलता थी जो उस उपजीविका को प्रतिबंधित करता था.....कानून का शायद ही कभी उपयोग किया गया था "।

(x) दिसंबर,2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन ने अन्य छः नागरिक समाज संगठनों के साथ-साथ मैनुअल स्कैवेंजर्स के समुदाय से संबंधित सात व्यक्तियों के साथ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका इस आधार पर दायर की गई कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के साथ-साथ शुष्क शौचालयों की प्रथा जारी रखना अवैध और असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14,17,21 और 23 व 1993 के अधिनियम के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

3. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों को सुना व अभिलेख का अवलोकन किया।

मांगा गया अनुतोष :

4. याचिकाकर्ताओं ने 2003 में रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में आकर,अन्य बातों के साथ,यह मांग की कि :

(i) शुष्क शौचालयों का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करना;

(ii) हाथ से मैला उठाने व शुष्क शौचालयों के संचालन की प्रथा को जारी रखने को संविधान के अनुच्छेद 14,17,21 और 23 और 1993,अधिनियम का उल्लंघन घोषित करना;

(iii) प्रत्यर्थीगण को अधिनियम को अपनाने और लागू करने का निर्देश देना और हाथ से मैला उठाने के पूर्ण उन्मूलन और इस तरह की प्रथा में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये समयबद्ध आधर पर विस्तृत योजनाएं तैयार करना;

(iv) भारत संघ और राज्य सरकारों को विभिन्न नगर निगमों,नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों(सभी स्थानीय निकायों) को अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने और उल्लंघनकर्ताओ के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश देना; और

(v) इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों के अनुसार समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करना।

चर्चाः

5. भारत के संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा सामान्य रूप से अस्पृश्यता की प्रथा और विशेष रूप से हाथ से मैला उठाने की प्रथा की निंदा की गई। तदनुसार,संविधान के

अध्याय III में, अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जो इस प्रकार हैः

> " अस्पृश्यता का अंत " अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी भी निर्योगयता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।"

6. संविधान के अनुच्छेद 17 को शुरू में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (जिसे पहले अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के रूप में जाना जाता था) के अधिनियमन के माध्यम से लागू किया गया था । उक्त अधिनियम की धारा 7 ए में प्रावधान है कि जो कोई भी अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को सफाई के लिए मजबूर करता है, उसे अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली अक्षमता को लागू करने वाला माना जायेगा जो कारावास से दंडनीय है। हालाँकि यह संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान अपने आप में पथप्रदर्शक थे,लेकिन इन्हें देश भर में हाथ से मैला उठाने की अप्रिय प्रथा, जो जाति-व्यवस्था और अस्पृश्यता की अवधारणा में निहित है, की निरंतरता को संबोधित करने में अपर्याप्त पाया गया।

7. संविधान के प्रावधानों के अलावा, कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और अनुबंध जिनमें भारत भी एक पक्षकार है, हाथ से मैला उठाने की

अमानवीय प्रथा को निर्धारित करते है। ये हैं यूनिवर्सल डक्लरेशन आफ ह्यूमन राईट्स (यूडीएचआर), कन्वेन्शन आन एलीमीनेशन आफ रेशीयल डिस्क्रीमिनेशन(सीईआरडी) और कन्वेन्शन आफ एलीमीनेशन आफ ओल फार्मस आफ डिस्क्रीमिनेशन अगेंस्ट वोमेन(सीईडीएडब्ल्यू)। यूडीएचआर, सीईआरडी और सीईडीएडब्ल्यू के प्रासंगिक प्रावधान निम्न प्रकार है :

" यूडीएचआर का अनुच्छेद 1

सभी मनुष्यों को गौरव व अधिकारो के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता व समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अंतरआत्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हे भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए।

यूडीएचआर का अनुच्छेद 2 (1)

सभी को इस घोषणा में सनिहित सभी अधिकारों और आजादियों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार-

प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जायेगा।

यूडीएचआर का अनुच्छेद 23 (3)

प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करता है, अधिकार है कि वह इतनी उचित और अनुकूल मजदूरी पाये, जिससे वह अपने लिये और अपने परिवार के लिये ऐसी आजीविका का प्रबन्ध कर सके, जो मानवीय गौरव के योग्य हो तथा आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति अन्य प्रकार के सामाजिक संरक्षणों द्वारा हो सके।"

" सीईडीएडब्ल्यू का अनुच्छेद 5 (क)

राज्य पक्ष सभी उचित उपाय करेंगे

क) पुरुष और महिलायों के आचरण के सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूपों में, पूर्वधारणा और प्रथागत और अन्य सभी प्रथा जो किसी भी लिंग की हीनता या श्रेष्ठता पर या पुरुषों और महिलाएँ के लिए रूढ़िवादी भूमिकाओं पर आधारित हैं, के उन्मूलन को प्राप्त करने की दृष्टि से संशोधित करना,

सीईआरडी का अनुच्छेद 2

अनुच्छेद 2(1)(ग)

राज्य दलों ने नस्लीय भेदभाव की निंदा की और सभी उचित तरीकों से और बिना किसी देरी के नस्लीय भेदभाव को उसके सभी रूपों में समाप्त करने और सभी जातियों के

बीच समझ को बढ़ावा देने की नीति को आगे बढ़ाने का कार्य करना और उसके अंत तकः

(ग) प्रत्येक राज्य पक्ष सरकारी, राष्ट्रीय और स्थानीय नीतियों की समीक्षा के लिए और किसी भी कानून और विनियमों,जो नस्लीय भेदभाव को,जहाँ भी यह मौजूद है, को कायम रखने का प्रभाव रखता है, को संशोधित करने, रद्द करने या अमान्य करने के लिये प्रभावी कदम उठायेगी;

(घ) प्रत्येक राज्य पक्ष परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक विधान सहित सभी उपयुक्त साधनों से किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा नस्लीय भेदभाव को प्रतिबंधित करेगी और समाप्त करेगा।"

अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के उपरोक्त प्रावधान, जिन्हें भारत द्वारा अनुमोदित किया गया है, घरेलू कानून के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होने की हद तक बाध्यकारी हैं।

8. 2003 से आज तक, इस रिट याचिका को एक सतत परमादेश के रूप में माना गया। इस न्यायालय द्वारा दूरगामी प्रभाव वाले कई आदेश पारित किये गये हैं। याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न राज्यों द्वारा अधिनियम को न अपनाने पर ध्यान आकर्षित किया है जिसके कारण राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियम को अनुमोदित किया गया (जिसमें दिल्ली विधानसभा भी

शामिल है जिसने विलंब से 2010 में अधिनियम को अनुमोदित किया था)। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं ने समय-समय पर इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और उन आदेशों के अनुपालन में शपथ पत्र पेश किया है।

9. इस न्यायालय ने कई अवसरों पर केंद्र और राज्य सरकारों को अधिनियम के नियंत्रण और कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया है। विभिन्न आदेशों ने धीरे-धीरे राज्य सरकारों को कानून का अनुमोदन करने और अधिनियम के तहत कार्यकारी प्राधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया है। इस न्यायालय के निर्देशों के तहत, राज्य डेटा एकत्र करने और अधिनियम के कार्यान्वयन का नियंत्रण करने के लिए विधि द्वारा बाध्य हैं ।

10. मार्च, 2013 में इस न्यायालय के बढ़ते दबाव के कारण, केंद्र सरकार ने 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के सर्वेक्षण' की घोषणा की। हालाँकि, सर्वेक्षण केवल 3546 वैधानिक कस्बों तक ही सीमित था और ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका विस्तार नहीं हुआ। इस सीमित अधिदेश के साथ भी, याचिकाकर्ता संख्या 1 की जानकारी के अनुसार, सर्वेक्षण में उल्लेखनीय रूप से बहुत कम प्रगति देखी गई है। दिनांक 27.02.2014 के "मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों के सर्वेक्षण की प्रगति रिपोर्ट" में राज्य के रिकॉर्ड से प्रकट होता है कि वह वास्तव में मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे लोगों की संख्या का

केवल एक छोटा सा अनुपात ही चिन्हित करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ता, अपने सीमित संसाधनों के साथ, बिहार राज्य में मैनुअल स्कैवेंजिंग वाले 1098 व्यक्तियों को चिन्हित करने में कामयाब रहे हैं। दिनांक 27.02.2014 की प्रगति रिपोर्ट मात्र 136 को चिन्हित करने का दावा करती है। राजस्थान राज्य में, याचिकाकर्ताओ ने 816 मैनुअल स्कैवेंजर्स को चिन्हित किया है जबकि राज्य की प्रगति रिपोर्ट दिनांकित 27.02.2014 में मात्र 46 ही चिन्हित किये गये है।

11. याचिकाकर्ताओ द्वारा एकत्रित उपरोक्त आंकडे यह स्पष्ट करते है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा निरंतर बेरोकटोक जारी है। इस तथ्य के बावजूद कि 1993 का अधिनियम लगभग दो दशकों से लागू था, शुष्क शौचालयों अभी भी मौजूद है।राज्यों ने 1993 के अधिनियम और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संवैधानिक अधिदेश को नकारते हुये कार्य किया है।

12. एक दशक से अधिक समय तक, इस न्यायालय ने विभिन्न निर्देश जारी किए और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुपालन की मांग की। इस न्यायालय के प्रभावी हस्तक्षेप और निर्देशों के कारण,भारत सरकार द्वारा इस बुराई को समाप्त करने व हाथ से मैला ढोने वालो के कल्याण के लिये "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम,2013" नामक एक अधिनियम

लाया गया। इस अधिनियम को दिनांक 18.09.2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। उपरोक्त अधिनियम का अधिनियमन, किसी भी तरह से, न तो अनुच्छेद 17 के संवैधानिक अधिदेश को कमजोर करता है न ही 1993 के अधिनियम के तहत संघ व राज्य सराकारों की ओर से निष्क्रियता को माफ करता है। इसके अलावा 1993 का अधिनियम अनुच्छेद 17 व अनुच्छेद 21 में सीवेज सफाई और टैंकों की सफाई में लगे व्यक्तियों के साथ-साथ रेलवे पटरियों पर मानव मल साफ करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है।

13. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अधिनियम की विभिन्न मुख्य विशेषताओं पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है,जो निम्नानुसार हैं -

(i) उपर्युक्त अधिनियम को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके कुटुबों के पुनर्वास तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

(ii) अधिनियम के अध्याय 1 में अन्य बातों के साथ-साथ क्रमशः धारा 2 (1)(घ), (ङ) और (छ) में "परिसंकटमय सफाई", "अस्वच्छ शौचालय" और "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी" परिभाषित किये गये है।

(iii) अधिनियम के अध्याय 2 में अस्वच्छ शौचालयों की पहचान करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 4 (1) में निम्नानुसार हैः

"4- स्थानीय अधिकारियों द्वारा अस्वच्छ शौचालायों का सर्वेक्षण किया जाना और स्पच्छ सामुदायिक शौचालयों का उपलब्ध कराया जाना

(1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी,--

(क) अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यमान अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण करेगा और ऐसे अस्वच्छ शौचालयों की एक सूची, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, प्रकाशित करेगा;

(ख) अधिभोगी को, खंड(क) के अधीन सूची के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, अस्वच्छ शौचालय को, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, या तो तोडने या उसको स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करने की सूचना देगा :

परंतु स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध किये जाये, उक्त अवधि को तीन मास से अनधिक अवधि तक बढा सकेगा;

(ग) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से नौ मास से अनधिक की अवधि के भीतर,ऐसे क्षेत्रों में, जहां

अस्वच्छ शौचालय पाये गए हैं, उतने स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का, जितने वह आवश्यक समझे, सन्निर्माण करेगा।

(iv) अधिनियम के अध्याय III में अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन और लगाए जाने का प्रतिषेध का प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 5,6 व 7 निम्नानुसार हैः

"5- अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन और लगाए जाने का प्रतिषेध

(1) सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालयों का सन्निर्माण(निषेध)अधिनियम, 1993 में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् -

(क) किसी अस्वच्छ शौचालय का सन्निर्माण नहीं करेग; या

(ख) हाथ से मैला उठाने वाले किसी कर्मी को, या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः न तो लगाएगा या न ही नियोजित करेगा और इस प्रकार लगाया गया या नियोजित

किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाथ से मैला उठाने की, अभिव्यक्त या विवक्षित,किसी बाध्यता से तुरंत उन्मोचित हो जाएगा ।

(2) इस अधिनयम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान प्रत्येक अस्वच्छ शौचालय को अधिभोगी द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व स्वयं अपने खर्च पर या तो तोड़ दिया जाएगा या एक स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित कर दिया जाएगा :

परंतु जहां, किसी अस्वच्छ शौचालय के संबंध मे अनेक अधिभोगी है, वहां उसको तोड़ने या संपरिवर्तित करने का दायित्व,-

(क) परिसर के स्वामी पर होगा, यदि उनमें से एक अधिभोगी उसका स्वामी हो; और

(ख) अन्य सभी दशा में, संयुक्त रूप से और पृथक रूप से, सभी अधिभोगियों पर होगा :

परंतु राज्य सरकार, ऐसे प्रवर्गों के व्यक्तियों से संबद्ध अधिभोगियों को और ऐसे मापमान पर, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,अस्वच्छ शौचालय को स्वच्छ शौचालय मे संपरिवर्तित करने के लिए सहायता प्रदान कर सकेगी:

परंतु यह और कि राज्य की सहायता प्राप्त न होना, नौ मास की उक्त अवधि के पश्चात् किसी अस्वच्छ शौचालय को बनाए रखने या उसका उपयोग करने का कोई विधिमान्य आधार नहीं होगा।

(3) यदि कोई अधिभोगी, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी अस्वच्छ शौचालय को तोड़ने या उसको स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करने में असफल रहेगा तो उस क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा अस्वच्छ शौचालय स्थित है, अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी, अधिभोगी को इक्कीस दिन से अन्यून की सूचना देने के पश्चात् ऐसे शौचालय को या तो स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करेगा या ऐसे अस्वच्छ शौचालय को तोड़ देगा और वह, ऐसे अधिभोगी से, यथास्थिति, ऐसे संपरिवर्तित किए जाने या तोड़े जाने का खर्च ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, वसूल करने का हकदार होगा ।

6. संविदा, करार आदि का शून्य होना

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के प्रयोजन के लिए लगाए जाने अथवा नियोजित किए जाने के संबंध में की गई या

निष्पादित किसी संविदा, करार या अन्य लिखत, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को पर्यवसित हो जाएगी और ऐसी संविदा, करार या अन्य लिखत शून्य तथा अप्रवर्तनीय होगी और उसके लिए कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी भी व्यक्ति की, जिसको पूर्णकालिक आधार पर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित किया गया या लगाया गया है, उसके नियोजक द्वारा छंटनी नहीं की जाएगी किन्तु उसको, उसकी रजामंदी के अधीन रहते हुए, कम से कम उन्हें उपलब्धियों पर प्रतिधारित किया जाएगा और उसको हाथ से मैला उठाने से भिन्न कार्य सौंपा जाएगा ।

7. मलनालियों और मलाशयों की परिसंकटमय सफाई के लिए व्यक्तियों को लगाए जाने या नियोजित किए जाने का प्रतिषेध

कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण, ऐसी तारीख से, जिसको राज्य सरकार अधिसूचित करे, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के बाद की नहीं होगी, किसी व्यक्ति को या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः

किसी मलनाली या मलाशय की परिसंकटमय सफाई के लिए
न तो लगाएगा और न ही नियोजित करेगा ।"

(v) अधिनियम की धारा 8 व 9 दण्डात्मक प्रावधान है जो निम्न प्रकार है :

8- धारा 5 या धारा 6 के उल्लघंन के लिये शास्ति

जो कोई,धारा 5 या धारा 6 के उपबंधो का उल्लघंन करेगा, प्रथम उल्लंघन के लिये ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

9- धारा 7 के उल्लंघन के लिए शास्ति

जो कोई, धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से,जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(vi) अधिनियम का अध्याय IV में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वालों को पहचान करने व उनके पुनर्वास का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 13 निम्न प्रकार है ;

"13- किसी नगरपालिका द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास

(1) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसको धारा 11 की उपधारा (6) के अनुसरण में प्रकाशित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची में सम्मिलित किया गया है या धारा 12 की उपधारा (3) के अनुसरण में उसमें जोड़ा गया है निम्नलिखित रीति से पुनर्वास किया जाएगा, अर्थात्:––

(क) उसको एक मास के भीतर,––

(i) एक फोटो पहचान पत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उस पर आश्रित उसके कुटुंब के सभी व्यक्तियों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे,दिया जाएगा,और

(ii) ऐसी आरंभिक,एक बार,ऐसी नकद सहायता दी जाएगी, जो विहित की जाए;

(ख) उसके बालक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम के अनुसार छात्रवृति के हकदार होगे;

(ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी की पात्रता और रजामंदी तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसको आवासीय भू-खंड आवंटित किया जाएगा और गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी या तैयार बना हुआ मकान, वित्तीय सहायता के साथ, आवंटित किया जाएगा ;

(घ) उसको या उसके कुटुंब के कम से कम एक वयस्क सदस्य को उसकी पात्रता और रजामंदी के अधीन रहते हुए, किसी जीवनयापन कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसको ऐसे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान तीन हजार रुपए से अन्यून की मासिक वृत्तिका संदत्त की जाएगी ;

(ङ) उसको या उसके कुटुंब के कम से कम एक वयस्क सदस्य को उसकी पात्रता और रजाबंदी के अधीन रहते हुए, किसी वहनीय आधार पर कोई अनुकल्पी उपजीविका करने के लिए सहायिकी और रियायती ऋण, ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या

संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम में नियत की जाए, दिया जाएगा;

(च) उसको ऐसी अन्य विधिक और योजनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस निमित्त , अधिसूचित करे।

(2) संबद्ध जिले का जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले प्रत्येक कर्मी के पुनर्वास के लिए उत्तरदायी होगा और इसके अतिरिक्त,राज्य सरकार या संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट, अपनी ओर से जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ अधिकारियों और संबद्ध नगरपालिका के अधिकारियों को उत्तरदायित्व समनुदेशित कर सकेगा।"

(vii) अधिनियम का अध्याय V कार्यान्वयन तंत्र प्रदान करता है। धारा 17 से 20 इस प्रकार है :

17- अस्वच्छ शौचालयों के हटाने को सुनिश्चित करने का स्थानीय प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते भी,प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का, जागरुकता अभियान के माध्यम से या ऐसी रीति से यह सुनिश्चित करने का

उत्तरदायित्व होगा कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नौ मास की अविध के समाप्त होने के पश्चात्, ––

(i) उसकी अधिकारिता के भीतर किसी अस्वच्छ शौचालय का निर्माण, अनुरक्षण या उपयोग न किया जाए; और

(ii) खंड (i) के उल्लंघन की दशा में धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अधिभोगी के विरूद्ध कार्यवाई की जाए।

18- ऐसे प्राधिकारी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए विनिर्दिष्ट किए जाए–

समुचित सरकार,यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबंधों का समुचित अनुपालन किया जाए, स्थानीय प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी तथा उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी जो आवश्यक है और स्थानीय प्राधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे अधीनस्थ अधिकारियों को, जो इस प्रकार प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अधिरोपित सभी या किन्हीं कर्तव्य का पालन करेंगे तथा ऐसी स्थानीय सीमाओ को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे, जिनके

भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी या अधिकारियों द्वारा पालन किया जाएगा।

19- जिला मजिस्ट्रेट और प्राधिकृत अधिकारियों के कर्तव्य

धारा 18 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या प्राधिकारी या उस धारा के अधीन उनके द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य अधीनस्थ अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्, --

(क) उनकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में किसी व्यक्ति को, लगाया या नियोजित न किया जाए;

(ख) कोई भी अस्वच्छ शौचालय का निर्माण, अनुरक्षण, उपयोग न करे या उपयोग के लिए उपलब्ध न कराए;

(ग) इस अधिनियम के अधीन पहचान किए गए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का, यथास्थिति, धारा 13 या धारा 16 के अनुसार पुनर्वास किया जाए;

(घ) धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का इस अधिनियम के उपबंधों के

अधीन अन्वेषण और अभियोजन किया जाए; और

(ङ) उसकी अधिकारिता के भीतर लागू होने वाले इस अधिनियम के सभी उपबंधों का सम्यक् रूप से अनुपालन किया जाए।

20- निरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां

(1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, उतने व्यक्तियों को जितने वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और उन स्थानीय सीमाओ को, जिनके भीतर वे इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, परिभाषित कर सकेगी..... ।"

(viii) अधिनियम का अध्याय VII सतर्कता और नियंत्रण समितियों की स्थापना का प्रावधान निम्नानुसार करता है

" 24- सतर्कता समितियां

(1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले और प्रत्येक उपखंड के लिए एक सतर्कता समिति गठित करेगी ।

(2) किसी जिले के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्‌: ––

(क) जिला मजिस्ट्रेट —अध्यक्ष, पदेन;...

25- सतर्कता समिति के कृत्य

सतर्कता समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे —

(क) यथास्थिति,जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए

किसी नियम के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई करने के लिए सलाह देना;

(ख) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की निगरानी रखना;

(ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रत्यय जुटाने की दृष्टि से सभी संबंधित अभिकरण के कृत्य का समन्वय करना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन अपराध के रजिस्ट्रीकरण और उनके अन्वेषण और अभियोजन को मानीटर करना।

26- राज्य मानीटरी समिति

(1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक राज्य मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित सदस्य से मिलकर बनेगी, अर्थात्: ––

(क) राज्य का मुख्यमंत्री या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई मंत्री– अध्यक्ष, पदेन;...

27- राज्य मानीटरी समिति के कृत्य

राज्य मानीटरी समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, ––

(क) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसके लिए राज्य सरकार और स्थानीय

प्राधकारियों को सलाह देना;

(ख) सभी संबंधित अभिकरणों के कृत्य का समन्वय करना;

(ग) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लकए उसके आनुषंगिक या उससे संबंधित किसी अन्य विषय की जांच करना।

***   ***   ***

29- केन्द्रीय मानीटरी समिति

(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के उपबंधों के अनुसार एक केन्द्रीय मानीटरी समिति गठित करेगी।

(2) केन्द्रीय मानीटरी समिति निम्नलिखित सदस्य से मिलकर बनेगी, अर्थात् :––

(क) संघ का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री– अध्यक्ष, पदेन;...

30- केन्द्रीय मानीटरी समिति के कृत्य

केन्द्रीय मानीटरी समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, ––

(क) इस अधिनियम और सुसंगत विधियों तथा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर करना और

उसके लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को सलाह देना;...

31- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कृत्य

(1) राष्ट्रीय सफाई कर्मवारी आयोग निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात्: ––

(क) इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित शिकायत की जांच करना और संबंधित प्राधिकारियों को आगे कार्रवाई की अपेक्षा करने संबंधी सिफारिशों सहित अपने निष्कर्ष संप्रेषित करना; और

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को सलाह देना;

(घ) इस अधिनियम को कार्यान्वित न करने से संबंधित मामले की स्वप्रेरणा से अवेक्षा करना।"

(ix) अधिनियम के अध्याय VIII में विविध प्रावधान शामिल हैं। अधिनियम की धारा 33 में सीवर आदि की सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के कर्तव्य का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 36 में प्रावधान है

कि उपयुक्त सरकार, अधिसूचना द्वारा, तीन महीने से की अवधि के भीतर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाएगी। । अधिनियम की धारा 37 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार,अधिसूचना द्वारा,राज्य सरकारों के मार्गदर्शन और उपयोग के लिए मॉडल नियम प्रकाशित करेंगी।

14. हम 2013 अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर पहले ही ध्यान दे चुके हैं और इस न्यायालय के विभिन्न आदेशों के आलोक में, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं :-

(i) 2013 अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची में शामिल व्यक्तियों को 2013 अधिनियम के भाग IV के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित तरीके से पुनर्वासित किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) ऐसी प्रारंभिक, एकमुश्त, नकद सहायता, जो निर्धारित की जा सकती है;

(ख) उनके बच्चे,केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारियों,जैसा भी मामला हो,की प्रासंगिक योजना के अनुसार छात्रवृत्ति के हकदार होंगे;

(ग) प्रासंगिक योजना के प्रावधानों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी की पात्रता और इच्छा के अधीन, एक आवासीय भूखंड और घर

के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, या वित्तीय सहायता के साथ एक तैयार घर आवंटित किया जाएगा;

(घ) उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को, पात्रता और इच्छा के आधार पर, आजीविका कौशल में प्रशिक्षण और ऐसी अवधि के दौरान मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा;

(ई) उनके परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को,पात्रता और इच्छा के अधीन प्रासंगिक योजना के प्रावधानों के अनुसार स्थायी आधार पर एक वैकल्पिक व्यवसाय अपनाने के लिये सब्सिडी और रियायती ऋण दिया जायेगा;

(च) ऐसी अन्य कानूनी और कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान की जायेगी, जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस संबंध में अधिसूचित कर सकती है।

(ii) यदि हाथ से मैला उठाने वाली प्रथा को समाप्त करना है और आने वाली पीढ़ियों को भी हाथ से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा से रोकना है, तो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास में निम्नलिखित को शामिल करने की आवश्यकता है :-

(क)सीवर से मौतें- आपातकालीन स्थितियों में भी सुरक्षा गियर के बिना सीवर लाइनों में प्रवेश करना अपराध बनाया जाना चाहिए। ऐसी

प्रत्येक मृत्यु के लिए, मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा को दिया जाना चाहिये।

(ख) रेलवे- पटरियों पर हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए समयबद्ध रणनीति अपनानी चाहिए।

(ग) हाथ से मैला उठाने से मुक्त किए गए व्यक्तियों को कानून के तहत उनका वैध देय प्राप्त करने के लिए बाधाओं को पार करना नहीं पडे।

(घ)सफाई कर्मचारी महिलाओ को अपनी पसंद की आजीविका योजनाओं के अनुसार सम्मानजनक आजीविका के लिए सहायता प्रदान करना।

(iii) उन सभी व्यक्तियों के परिवारों को चिन्हित करना जिनकी मृत्यु 1993 से सीवरेज कार्य (मैनहोल, सेप्टिक टैंक) में हो चुकी है और ऐसी प्रत्येक मृत्यु के लिए उन पर निर्भर परिवार के सदस्यों को 10 लाख रूपये का मुआवजा दे।

(iv) पुनर्वास न्याय और परिवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।

15. उपरोक्त निर्दिष्ट अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों के साथ नियमों के प्रकाश में, हम एतद्द्वारा सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे पूरी तरह से लागू करने और 2013 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के गैर-

कार्यान्वयन के साथ-साथ उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। चूंकि अधिनियम 2013 पूरे क्षेत्र को सम्मिलित करता है, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा आगे निगरानी की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, हम एक बार पुनः दोहराते है कि इसे पूरी तरह से लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का कर्तव्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर है। अब से, पीड़ित व्यक्तियों को अनुमति है कि वह पहले संबंधित अधिकारियों और उसके बाद संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के समक्ष जा सकते है।

16. उपरोक्त निर्देश के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है। अवमानना याचिका में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

डी.जी.

रिट याचिका निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती प्रेक्षा झुनझुनवाला(RJ01074) (आर.जे.एस.) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर जिला अजमेर द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।